POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 30.06.2026

थाना जार्जटाउन पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना जार्जटाउन पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0- 292/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता व 7/13(3) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998 से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त भानुप्रताप पुत्र अयोध्या प्रसाद उर्फ चुन्नीलाल उर्फ चुरफुन्नी निवासी ग्राम भैदपुर , थाना धाता, पोस्ट धाता, जनपद फतेहपुर को मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक 30.06.2026 को विद्यावाहिनी बस अड्डे के पास थाना क्षेत्र जार्जटाउन से गिरफ्तार किया गया । नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त भानु प्रताप द्वारा दिनांक- 15.12.2024 को आयोजित की गई CTET-2024 परीक्षा में अपने स्थान पर फर्जी तरीके से दूसरे परीक्षार्थी को बैठाकर परीक्षा दिलवाई जा रही थी, जिसके संबंध में जगत तारण इण्टर कालेज की केन्द्र व्यवस्थापक वादिनी श्रीमती रति अस्थाना द्वारा थाना जॉर्जटाउन पर तहरीर प्रस्तुत कर उक्त अभियोग पंजीकृत करवाया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

भानुप्रताप पुत्र अयोध्या प्रसाद उर्फ चुन्नीलाल उर्फ चुरफुन्नी निवासी ग्राम भैदपुर , थाना धाता,पोस्ट धाता, जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण -

मु0अ0सं0- 292/2024 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता व 7/13(3) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1998

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 योगेन्द्र कुमार सिंह, थाना प्रभारी जार्जटाउन कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सुमित कुमार वर्मा, चौकी प्रभारी जार्ज टाउन थाना जार्जटाउन कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. कां0 शाहीद जंमा, थाना जार्जटाउन कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. कां0 अभिषेक कुमार, थाना जार्जटाउन कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. कां0 राजीव रंजन , थाना जार्जटाउन कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना खीरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 30.06.2026 को थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 109/26 धारा 137(2)/351(4)/87 बीएनएस मे प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त आजाद पुत्र शिवगोविन्द हरिजन निवासी ग्राम खाली औनी, जावा थाना जावा जनपद रीवा म0प्र0 को थाना खीरी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम देवीबांध से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 23.06.2026 को वादी द्वारा दी गई तहरीरी सूचना बावत वादी को मोबाइल नं0 9131927833 से उसकी पुत्रियों का अपहरण करने सम्बन्धी धमकी मिलने तथा

आवेदक की 02 पुत्रियों का दिनांक 19.06.2026 को घर से शौच के लिए जाने तथा वापस न आने तथा मो0नं0 9131927833 के धारक द्वारा फोन से जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 109/26 धारा 137(2)/351(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत कर बरामदगी व अभियुक्त के गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में अभियुक्त आजाद पुत्र शिवगोविन्द हरिजन उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना से धारा 87 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

आजाद पुत्र शिवगोविन्द हरिजन उम्र करीब 23 वर्ष निवासी ग्राम खाली औनी, जावा थाना जावा जनपद रीवा म0प्र0।

सम्बन्धित अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 109/26 धारा 137(2)/351(4)/87 बीएनएस थाना खीरी कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 उमेश कुमार,थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज।

2.का0 सतीश सिंह,थाना खीरी, कमिश्नरेट प्रयागराज।